निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 637) पटना, बुधवार, 4 जुलाई 2018

सं० अ०स०क० 06–05 / म0–01 / 2017–791

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

29 जून 2018

विषय :– बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों / सरकारी मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराये जाने से संबंधित राज्य संपोषित 'बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना' एवं इससे संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में।

प्रायः अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) के गरीब बच्चे मदरसो में शिक्षा प्राप्त करते है। समाज के जमीनी स्तर पर शिक्षा विशेष कर प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार में मदरसों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किन्तु मदरसों में मूलभूत सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण इन मदरसों में पठन–पाठन का स्तर आम स्कूलों की तुलना में निम्न है। समसामयिक शिक्षा उपलब्ध नहीं रहने के कारण मदरसों से शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित है जिसे महसुस करते हुए बिहार राज्य के मदरसों को सुदृढ़ करने के लिए बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों / सरकारी मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराये जाने से संबंधित राज्य संपोषित 'बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना' एवं इससे संबंधित मार्गनिर्देशिका का निर्माण किया गया है, जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

(2) यह योजना शत् प्रतिशत राज्य योजना है, जिसका क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका के अनुसार किया जायगा जो निम्नलिखित हैः–

1. बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचनाओं उपलब्ध करायें जाने एवं शैक्षणिक सुधार हेतु उपाय करने से संबंधित योजना को ''बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (Bihar State Madrasa Strengthening Scheme)'' के नाम से जाना जाएगा।

2. **सुदृढ़ीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य** :– इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य मुख्यतः दो प्रकार के होगें:–

2.1. **आधारभूत संरचनाओं / सुविधाएँ**:–भवन, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास वोकेशनल प्रशिक्षण हेतु हॉल, कम्प्यूटर / विज्ञान लैब, अतिरिक्त वर्गकक्ष, पुस्तकालय, रसोई घर, मेस, शौचालय आदि का

निर्माण, भवनों का जीर्णोद्वार, स्वच्छ पेयजल हेतु बोरिंग, पम्प तथा टंकी सहित नल, बिजली, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि का अधिष्ठापन।

2.2 **शैक्षणिक स्तर के सुधारः**– मदरसों में परंपरागत विषयों के साथ साथ हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित आदि के पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना, पठन–पाठन की सुविधाएँ उपलब्ध किया जाना जिससे मदरसा एवं स्कूली शिक्षा में अंतर समाप्त किया जा सके एवं मदरसा–शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जा सके। सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, मदरसा–स्कूल ब्रिज कोर्स केन्द्र, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग केन्द्र आदि का स्थापन एवं प्रबंधन आदि। शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक, शोध आदि क्रियाकलाप। इसके अतिरिक्त पुस्तकें, मैंगजीन, अखबार, खेल कूद सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया जाना। शिक्षकों का प्रशिक्षण, बाह्य शिक्षकों एवं विशेषज्ञ की सेवा प्राप्ति, मदरसा के शिक्षकों/विद्यार्थियों का देश के ख्याति प्राप्त मदरसों का भ्रमण आदि प्रस्ताव। मदरसा बोर्ड का क्षमतावर्धन एवं आधुनिकरण से संबंधित प्रस्ताव।

3. योजना के संचालन हेतु कार्यो के लिए विभिन्न मदरसों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समुचित उद्व्यय एवं बजट का प्रावधान किया जाएगा।

4. बिन्दु 2.1 के तहत कार्यों का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा कराया जाएगा। बिन्दु 2.2 के तहत कार्यों का क्रियान्वयन बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा मदरसा बोर्ड को प्रतिवर्ष बजटीय आकलन के आधार पर अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

5. **योजना के क्रियान्वयन हेतु मदरसों की पात्रता :** –

5.1 योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा अनुदानित मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में किया जाएगा। योजना के सुचारू संचालन हेतु मदरसा बोर्ड, वर्तमान शिक्षण स्तर को देखते हुए, प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक शीर्ष मदरसा (Block Lead Madarsa) तथा जिले स्तर में एक जिला शीर्ष मदरसा (District Lead Madarsa) नामित करेगा। शीर्ष मदरसे संसाधन केन्द्र का कार्य करेंगे एवं योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे।

5.2 **योजना हेतु मदरसों का चयन :**

योजना का क्रियान्वयन ऐसे ही मदरसों में किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करतें हों :–

(क) संबंधित मदरसा प्रबंध समिति के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों में कोई अनुशासनिक कार्रवाई में दोषी नहीं पाया गया हो।

(ख) योजना हेतु मदरसों के नाम पर पर्याप्त भुमि उपलब्ध हो।

(ग) संबंधित मदरसे में 70 छात्रों से अधिक का नामंकण हो।

(घ) संबंधित मदरसे की प्रस्वीकृति कम–कम से दो वर्षों से अधिक का हो।

इसके लिए मदरसा बोर्ड पात्र मदरसों की सूची जारी करेगा।

5.3 **प्रस्ताव प्रतिवेदन (Draft Proposal)।**–मदरसा प्रबंध समिति, मदरसे में आवश्यक सुविधाओं/संरचनाओं का आक्कलन कर, प्रस्ताव प्रतिवेदन तैयार करेगी एवं प्रस्ताव को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। प्रस्ताव प्रतिवेदन में कार्य की रूप–रेखा का विवरण शामिल होगा। प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा तय विभिन्न स्तर के मदरसों हेतु संरचना/सुविधाओं के अनुमोदित माप दण्ड/मानक के अनुसार ही तैयार किया जाएगा।

6.1 **जिला अनुमोदन समिति ।**– मदरसों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर जिला अनुमोदन समिति कार्यरत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें :–

जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रोग्राम ऑफिसर	–	सदस्य
भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य
जिला लीड मदरसा के प्रधानाध्यापक	–	सदस्य
संबंधित मदरसें के प्रबंध समिति के सचिव	–	आमंत्रित सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य– सचिव

कोरम तीन सदस्यों से पूर्ण होगा जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं संबंधित मदरसें के प्रबंध समिति के सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.2 **संक्षिप्त प्राक्कलन एवं स्थल जाँच ।**– जिला अनुमोदन समिति के विचार से पूर्व, मदरसों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का स्थल जाँच दो सदस्यीय दल द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। जाँच दल में सम्बंधित जिले के भवन निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होगें। जाँच के समय संबंधित मदरसा प्रबंध समिति के सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जाँच एक महीने में पूरा किया जाना आवश्यक होगा। जाँच दल अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य की विस्तृत रूप–रेखा एवं मानक दर/एस ओर आर (Schedule of Rate) के आधार पर लागत का संक्षिप्त या विस्तृत प्राक्कलन भी उपलब्ध करायेगा।

6.3 जिला अनुमोदन समिति प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर प्रत्येक महिने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को अपनी अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराएगी।

7.1 **विभागीय अनुमोदन समिति।**– जिलों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य स्तर पर विभागीय अनुमोदन समिति कार्यरत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें :–

प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	–	उपाध्यक्ष
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
श्रमसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
मदरसा बोर्ड के सचिव या अन्य वरीय स्तर के प्रतिनिधि	–	सदस्य
मदरसा इस्लामिया समशुल होदा, पटना के प्रधानाध्यापक	–	सदस्य
उप सचिव/सहायक निदेशक/अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/निदेशालय	–	सदस्य सचिव

कोरम चार सदस्यों से पूर्ण होगा जिसमें प्रधान सचिव/सचिव तथा निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7.2 विभागीय समिति व्यवहार्यता विश्लेषण तथा उपलब्ध आवंटन के आधार पर प्रस्तावों पर आंशिक या पूर्ण अनुमोदन प्रदान करेगी एवं क्रियान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित करेगी। समिति योजना के कार्यान्वयन में आ रही प्रक्रियागत और अन्य खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत बदलाव का सुझाव पर भी विचार करेगी।

साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही योजनाओं को मदरसों में लागू/विस्तारित करने हेतु अंतरपूर्ति के प्रस्तावों पर भी समिति दिशानिर्देश देगी।

7.3 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय क्रियान्वयन एजेंसी का चयन करेगा तथा उसे विस्तृत योजना प्राक्कलन एवं नक्शा तैयार करने को निदेशित करेगा। प्राक्कलन प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निर्माण का कार्य राज्य एजेंसियाँ यथा भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

7.4 योजना प्रस्ताव प्रतिवेदन अन्तर्गत शीर्षों में वर्णित कार्य योजनाओं में संशोधन एवं क्रियान्वयन किये जाने वाले एजेंसियों में परिवर्तन करने की शक्ति विभागीय समिति में निहित होगी।

7.5 अगले आवंटन हेतु संबंधित कार्य के लिए पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना आवश्यक होगा। आंशिक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किये जाने की स्थिति में अगले आवंटन में समानुपातिक कटौती की जाएगी।

7.6 योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुदानित/सरकारी मदरसों की जमीन महामहिम राज्यपाल बिहार के नाम से निबंधित/हस्तांरित करने की बाध्यता नहीं होगी।

8. **योजना क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय एवं संरचना** : –

8.1 विभागीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन, देख–रेख एवं निरीक्षण के लिए एक Project Management unit (PMU) का गठन किया जाएगा। PMU अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत रहेगा एवं योजना सम्बंधी प्रगति से उन्हें समय–समय पर अवगत कराएगा। योजना संचालन में सहयोग हेतु बिहार शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्त एक वरीय पदाधिकारी विभाग में पदस्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त PMU के अन्तर्गत एक परियोजना प्रबंधक एवं एक एकाउटेन्ट को संविदा पर अनुबंधित किया जायगा। संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी जिसे कार्य के मूल्यांकण के पश्चात् विस्तार किया जा सकेगा। योग्यता एवं पारिश्रमिकी का निर्धारण विभागीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा। PMU के कर्मीयों का चयन संविदा के आधार पर सरकारी एजेंसी/एच0 आर0 एजेंसी से किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई0टी0 सक्षम प्रणाली का विकास किया जाएगा।

8.2 योजना संचालन हेतु प्रत्येक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में एक अतिरिक्त सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर जो कि उर्दू साक्षर हों की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध करायी जाएगी।

8.3 इस योजना के बजट राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय प्रशासनिक मद यथा संविदा सेवा, क्षमतावर्द्धन, प्रचार–प्रसार, सेमिनार आयोजन, प्रशिक्षण, बाह्य सेवा प्रदात्ता द्वारा परामर्शी एवं कार्यालय कार्य हेतु अन्य सेवा, यात्रा एवं दैनिक भत्ता आदि में आवंटित किया जा सकेगा।

9. **निरीक्षण एवं निगरानी**:–

9.1 वाह्य एजेन्सियों के विशेषज्ञ/गणमान्य व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक संस्था आदि द्वारा योजना की प्रगति एवं प्रभावकारिता का अंकेक्षण कराया जाएगा। नामित शीर्ष मदरसें अपने क्षेत्र में अवस्थित मदरसों में किये गये कार्यों का मूल्यांकन आदि हेतु नियमित बैठक करेगें तथा प्रतिवेदन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रस्तुत करेंगे।

9.2 योजना की समीक्षा हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला शीर्ष मदरसे के सहयोग से जिला स्तर पर त्रैमासिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें जिले के कुल ब्लॉक शीर्ष मदरसा शामिल होंगे।

9.3 निदेशालय द्वारा मदरसा बोर्ड के सहयोग से राज्य स्तर पर छमाही मदरसा आधुनिकीकरण सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें प्रत्येक जिला के जिला लीड मदरसा भाग लेंगे।

9.4 योजना से सम्बद्ध विभागीय अधिकारी/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आदि, जिला स्तर पर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी रखने में आवश्यक दायित्व निभाएंगे और किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) योजना का संचालन निम्नांकित बजट शीर्षो के अंन्तर्गत प्रावधानित राशि से किया जायगा :–

i. **शैक्षणिक कार्य हेतु।–** योजना का बजट मुख्य शीर्ष 2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण लघु शीर्ष 277–शिक्षा उपशीर्ष 0103–बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना विपत्र कोड 30–2225042770103 तथा

ii . **निर्माण कार्य हेतु।–** मुख्य शीर्ष 4225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण लघु शीर्ष 051–निर्माण उपशिर्ष 0102–बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना विपत्र कोड 30–4225040510102 के अन्तर्गत व्यय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो० एस०आई०फैसल,
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 637-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in